



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 279 राँची, शुक्रवार,

20 जून, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

5 जून, 2025

आदेश सं०-03/आरोप-11-57/2024 का०- 3326--उपायुक्त, धनबाद के द्वारा श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-312/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद से मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने विधि-व्यवस्था संधारण में रूचि नहीं लेने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप पर स्पष्टीकरण पूछते हुए उसकी प्रतिलिपि जापांक944 गो०, दिनांक 13.10.2024 एवं जापांक-955/गो०, दिनांक 17.10.2024 द्वारा विभाग को दी गई ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-7601, दिनांक 21.11.2024 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से श्री द्विवेदी के विरुद्ध आरोप बनता है तो, उनके विरुद्ध आरोप पत्र की माँग की गई ।

उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-216/गो0, दिनांक 12.03.2025 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद, श्री द्विवेदी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक विचारोपरांत उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया है।

अतः उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदन के आलोक में श्री दिवाकर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-312/20), जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव।
